न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019

निर्णय दिनांक :– 9.12.19

जितेन्द्रसिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मैणासर तहसील रतनगढ जिला चूरू
... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. श्री रोहिताषसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्धीकरण करवाने हेतु दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता तेजाराम की खातेदारी का खेत ख.नं. 413 तादादी 10.2689 हैक्टेयर रोही ग्राम मैणासर में स्थित है। प्रार्थी के पिता तेजाराम के फौत होने पर विरासतन ईन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का बोलता नाम सांवरमल पुत्र तेजाराम के नाम से 1/4 हिस्से की खातेदारी का अकंन राजस्व रेकार्ड में कर दिया। प्रार्थी का शैक्षणिक दस्तावेजात, राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक पास बुक आदि सभी दस्तावेजों में नाम जितेन्द्रसिंह पुत्र तेजाराम अकिंत है। राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पटवारी के पास गया तब प्रार्थी को अपने अशुद्ध नाम अकंन होने की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

सांवरमल के स्थान पर जितेन्द्रसिंह पुत्र तेजाराम शुद्धि किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट कमांक 1387 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्रसिंह पुत्र तेजाराम है। प्रार्थी को गांव में सांवरमल व जितेन्द्रसिंह दोनो नाम से पुकारते है। ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस,राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पचांयत मैणासर के प्रमाण पत्र दिनांक 12.11.2019 एवं तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का भलीभातिं अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व अकिंत हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में शुद्व नाम अकिंत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 413 तादादी 10.2689 हैक्टेयर रोही ग्राम मैणासर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम "सांवरमल पुत्र तेजाराम" के स्थान पर शुद्व नाम "जितेन्द्र सिंह पुत्र तेजाराम" अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 14:07:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: